प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 11.01.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 107 वाहनों से 1,23,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 11.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 107 वाहनों से 1,12,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 70 स्थानों पर 2328 वाहनों को किया गया चेक।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 120 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1286 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 11.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

- ➢ ***उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में बहु-बेटी सम्मेलन का किया गया भव्य आयोजन***

- ➢ ***कुल 14 स्थानों पर बहू-बेटी सम्मेलन का सफल आयोजन, कुल 1305 महिलाओं/बालिकाओं द्वारा किया गया प्रतिभाग***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो अभियान एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद के सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों की एंटी रोमियो टीम के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत 14 स्थानों पर बहु-बेटी सम्मेलन एवं महिला सशक्तिकरण चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें 1305 महिलाएँ/बालिकाएं उपस्थित रही।

कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा विभिन्न गांवो में जाकर बहु-बेटी सम्मेलन आयोजित कर किया गया जागरूकता कार्यक्रम 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा हनुमानगढ़ी में 02 थाना दुधारा द्वारा मुहम्मदगढ़, भरवलिया बूधन, गंगैचा, दुधारा में 03. महिला थाना द्वारा ग्राम बगहिया, बेलवनिया 04. थाना धनघटा द्वारा ग्राम सुरैना, करनपुर, गागरगाड 05 थाना महुली द्वारा ग्राम नाथनगर 06. थाना मेंहदावल द्वारा ग्राम मरवतिया कला,डडीया, सरफरा में 07 थाना बखिरा ग्राम हरा पट्टी 08 थाना बेलहरकला द्वारा ग्राम हसवापार 09. थाना धर्मसिंहवा द्वारा ग्राम मेंहदूपार में महिलाओं, बहु-बेटियों एवं बालिकाओं को एकत्रित कर चौपाल के माध्यम से मिशन शक्ति 5.0 अभियान एवं शासन की विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को सम्बल योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि शामिल रहीं। महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों व कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, जैसे वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि। चर्चा के दौरान गुड टच – बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध जैसे विषयों पर भी विस्तृत रूप से वार्ता की गई तथा उपस्थित महिलाओं को पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया।

इस कार्यक्रम में महिला बीट अधिकारियों एवं मिशन शक्ति टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल शैली में संवाद सत्र कर महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, आत्मरक्षा के उपायों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गयी और साथ ही महिलाओं से कहा गया कि वे निडर होकर अपनी बात रखें और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं।

उक्त सम्मेलन का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा वहां उपस्थित महिलाओं ने बताया कि इस आयोजन से घरेलू हिंसा और पति-पत्नी के विवाद को खुलकर आपस में साझा करने का अवसर मिला है तथा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का अवसर मिला, हम लोग अपने प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रर्दशन करते हुए आत्मनिर्भर बनेंगे। *महिलाओं द्वारा बताया गया कि पुलिस के प्रति हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कोडीन युक्त औषधियों को गैर चिकित्सीय उपयोग / दुरूपयोग /विक्रय एवं अन्य अपराधिक कार्य के अपराध की संभावना से किए जा रहे कृत्य एवं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वाँछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 1088/2025 धारा 2026(ए)/271/276/318(4) बीएनएस व 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत 01 अभियुक्त मोहम्मद असद पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को पुरानी सब्जी मण्डी के पास से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 21.11.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस पर वादिनी औषधि निरीक्षक खलीलाबाद श्रीमती प्रीति सिंह की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित थी।
गिरफ्तारी टीम- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक मय हमराह।

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, मिलावटी दवाओं अथवा नशीले पदार्थों की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय रहते कठोर कार्रवाई की जा सके।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 77 स्थानों पर 1675 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***1092 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***
- ***25 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***68 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 12 स्थानों पर 264 व्यक्तियों को चेक किया गया, 250 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 04 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 179 व्यक्तियों को चेक किया गया, 78 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक किया गया, 90 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 20 स्थानों पर 280 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 198 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 03 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 20 स्थानों पर 280 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 260 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 10 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 06 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक किया गया, 35 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 08 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 04 स्थानों पर 160 व्यक्तियों को चेक किया गया, 95 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 52 व्यक्तियों को चेक किया गया, 46 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।